रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 732] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 2017/भाद्र 6, 1939
No. 732] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 2017/BHADRA 6, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2017

सं. 25/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1070(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 तथा केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 64 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्य सेवाओं का प्रदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा जुलाई मास, 2017 के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा का विस्तार 15 सितम्बर, 2017 तक करते हैं।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी(पीटी.)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2017

No. 25/2017–Central Tax

G.S.R. 1070(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the return for the month of July, 2017, by a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 and rule 64 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, till 15th day of September, 2017.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 349/74/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2017

सं. 26/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1071(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अधीन किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा का नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मास के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट तारीख तक विस्तार करते हैं, अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं.	**मास**	**प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी फाइल करने की अन्तिम तारीख**
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई, 2017	8 सितम्बर
2.	अगस्त, 2017	23 सितम्बर

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी(पीटी.)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2017

No. 26/2017–Central Tax

G.S.R. 1071(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month as specified in column (2) of the Table below, till the date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

Serial Number	**Month**	**Last Date for filing of return in FORM GSTR-6**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	July, 2017	8th September
2.	August, 2017	23rd September

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 349/74/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.28 22:43:24 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.